कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 736 / तक / 03 भोपाल, दिनांक 5 / 4 / 03

प्रति,

जिला पंजीयक (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषयः– स्टाम्प विक्रेताओं पर प्रभावी नियंत्रण रखने बाबत् कार्यवाही ।

––0––

मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 के नियम 41 में प्रावधानित है कि स्टाम्प वेंडरों द्वारा स्टांपों के विक्रय के संबंध में पंजियां जमा की जा सकेंगी । नियम 46 मे जिला पंजीयकों तथा उप पंजीयकों को मुद्रांक विक्रेताओं की पंजियो के निरीक्षण का भी प्रावधान है।

यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्टाम्प वेंडरों द्वारा पुरानी तारीखों में स्टाम्पों का विक्रय किसी भी कारण से नहीं किया जा सकें, तथा आगे चलकर यदि कोई फर्जी या अनाधिकृत मुद्रांकों की बिक्री की घटना या शिकायत की जांच करने की आवश्यकता पडे, तो वर्ष के शुरूआत मे स्टाम्प विक्रेताओं के पास मुद्रांकों के स्टॉक की पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो ।

इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए वित्त वर्ष 2002–2003 की संपत्ति पर अर्थात 31.3.03 को स्टाम्प विक्रेताओं की स्टाम्पों के विक्रय की पंजियां जांच कर लें एवं उनके पास विभिन्न denominations के मुद्रांकों को सूचीबद्ध करें । आपके जिले के समस्त स्टाम्प विक्रेताओं के पास विभिन्न denominations के अलग–अलग कुल कितने स्टाम्प उपलब्ध है, इसकी जानकारी दिनांक 10.4.03 तक मुख्यालय को भेजें। नवीन लायसेंस 1 अप्रेल से तभी नवीकृत किये जावें, जबकि उक्त पंजियां स्टाम्प वेंडर द्वारा कार्यालय में जमा करा दी गई हो एवं आपके द्वारा इसकी सूची बनाई गई हो ।

आशा है कि आपके द्वारा सभी स्टाम्प वेंडरों की पंजियां दिनांक 1.4.2003 को संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों में जमा करा ली गई होंगी । यदि नही कराई गई है, तो तत्काल जमा करवा कर उपरोक्त जानकारी ई–मेल एवं अ.शा. पत्र द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध करायें ।

दिनांक 31.3.2003 को अतिशेष रहे स्टाम्पां के योग की जानकारी अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से दिनांक 10.4.2003 तक मुझे भेजें । यह ध्यान रहे कि अर्धशासकीय पत्र में केवल जिले के सभी स्टाम्प वेंडरों के पास दिनांक 31.3.2003 को अतिशेष रहे कुल स्टाम्पों के मूल्य की जानकारी भेजी जाना है, स्टाम्प वेंडर वाइज एवं denominations wise आप अवश्य तैयार करें, परंतु यह जानकारी मुख्यालय को भेजने की आवश्यकता नही है ।

हस्ता.
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश